


14.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। पेट्रकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

